छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध दाण्डिक याचिका संख्या 495 /2011

याचिकाकर्ता: सीबीआई - केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, कार्यालय पुलिस अधीक्षक सीबीआई, एस सी आर-111, 5-बी, सीबीआई मुख्यालय, तीसरी मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।

बनाम

उत्तरवादीगण: 1. अमित जोगी, पिता श्री अजीत जोगी, आयु 29 वर्ष, 03 मोतीलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली, वर्तमान निवासी - अनुग्रह, सिविल लाइन्स, रायपुर।

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा जिला मजिस्ट्रेट रायपुर (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

{अपील की अनुमति प्रदान करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 (3) के तहत याचिका}

उपस्थित:

श्री गौतम भादुड़ी सहित श्री संतोष कुमार तिवारी और श्री एस.के. शर्मा, अधिवक्तागण याचिकाकर्ता की ओर से।

श्री सुरेंद्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री राहुल त्यागी और श्री शैलेंद्र शर्मा, अधिवक्तागण उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से।

श्री जुगल किशोर गिल्डा, अतिरिक्त महाधिवक्ता सहित श्री आशीष शुक्ला, शासकीय अधिवक्ता और श्री अखिल मिश्रा, उप शासकीय अधिवक्ता, राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 2 के लिए।

श्री बी.पी.शर्मा अधिवक्ता, शिकायतकर्ता सतीश जग्गी की ओर से वास्ते अभियोजन की सहायता ।

युगलपीठ :

माननीय श्री टी.पी. शर्मा और

माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर, न्यायमूर्तिगण

आदेश

(12-9-2011)

टी.पी. शर्मा, न्यायमूर्ति :-

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 378(3) के अंतर्गत प्रस्तुत इस याचिका के माध्यम से, संहिता की धारा 378(2) के अंतर्गत दायर अपील के साथ, याचिकाकर्ता/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (संक्षेप में 'सीबीआई') ने उत्तरवादी क्रमांक 1 के दिनांक 31-05-2007 के दोषमुक्ति निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्रदान किए जाने की प्रार्थना की है, जो कि अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश, रायपुर द्वारा सत्र वाद क्रमांक 329/2005 में पारित किया गया था, जिसके द्वारा विशेष न्यायाधीश ने अन्य कुछ आरोपित व्यक्तियों को दोषसिद्ध करते हुए उत्तरवादी क्रमांक 1 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120बी(1), धारा 302 सहपठित धारा 34 तथा धारा 427 सहपठित धारा 34 के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2. वर्तमान याचिका परिसीमा अवधि समाप्त होने के 1,373 दिनों के बाद दिनांक 3-5-2011 को दायर की गई है (साठ दिनों के बजाय नब्बे दिनों को घटाकर गलत तरीके से 1,343 दिन की गणना की गई है)। याचिकाकर्ता ने याचिका दायर करने में हुई देरी को क्षमा करने के लिए आवेदन आई.ए.क्र.1 दायर किया है, जो शपथ पत्र और दस्तावेजों द्वारा समर्थित है।

3. परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत दायर विलम्ब क्षमा के आवेदन आई.ए.क्र.1 के अनुसार, याचिकाकर्ता ने **लालू प्रसाद यादव और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य** [1] के मामले में निर्णय आने के बाद दिनांक 21-12-2010 को कार्मिक और

[1] (2010) 5 एस.सी.सी 1

प्रशिक्षण विभाग से अपील दायर करने के लिए सहमति प्राप्त की थी। प्रारंभ में, सीबीआई ने अपील दायर करने की अनुमति के लिए दिनांक 7-8-2007 को अपने पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था। भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने दिनांक 15-10-2007 की अपनी राय में यह विचार व्यक्त किया था कि यह जल्द से जल्द अपील दायर करने के लिए उपयुक्त मामला है। हालांकि, विधि कार्य विभाग ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ता द्वारा दायर अपील के आलोक में यह सलाह दी कि विचारण के आदेश को चुनौती देने का उद्देश्य उसी से प्राप्त किया जा सकता है। पक्षकार अर्थात मृतक के पुत्र ने भी दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध परिसीमा की अवधि के भीतर पुनरीक्षण दायर किया है, जिसमें सीबीआई ने भाग लिया है। **लालू प्रसाद** के मामले (उपरोक्त) में निर्णय के बाद, सीबीआई ने फिर से विधिक सलाह मांगी और सहमति प्राप्त की, जिसके पश्चात यह अपील दायर की गई है और उपरोक्त परिस्थितियों के आधार पर याचिका दायर करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने की प्रार्थना की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4 . जवाब पेश करते हुए, उत्तरवादी क्रमांक 1 ने विलंब क्षमा के आवेदन पर आपत्ति जताई है और विशेष रूप से यह दावा किया है कि लालू प्रसाद के मामले (उपरोक्त) में निर्णय से पहले ही सीबीआई ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष यह आधार लिया था कि सीबीआई द्वारा किए गए अन्वेषण और अभियोजन के मामले में, दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है और केवल केंद्र सरकार ही अपील करने के लिए सक्षम है। जब पटना उच्च न्यायालय ने इसे स्वीकार नहीं किया, तब सीबीआई ने वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। यह वह मामला नहीं है जहाँ सीबीआई का यह विचार था कि राज्य सरकार द्वारा दायर अपील या पक्षकार द्वारा दायर अपील/पुनरीक्षण सक्षम है या उद्देश्य को पूरा करेगा और सीबीआई द्वारा दायर की जाने वाली अपील का विकल्प होगा, बल्कि सीबीआई का यह सुविचारित मत था कि सीबीआई द्वारा अन्वेषण किए गए विचारण के मामले में राज्य सरकार द्वारा दायर अपील सक्षम नहीं है। इसलिए, यदि सीबीआई अपील दायर करना चाहती थी, तो यह उसके लिए अनिवार्य था, लेकिन सीबीआई या केंद्र सरकार ने अपील दायर नहीं की। उत्तरवादी क्रमांक 1 ने अपने जवाब में यह भी कहा है कि शिकायतकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण पहले ही स्वीकार किया जा चुका है, जो वर्तमान मामले में किसी भी स्थिति

में न्याय के उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। उत्तरवादी क्रमांक 1 ने विलंब क्षमा के आवेदन का पुरजोर विरोध किया है और कहा है कि सीबीआई ने याचिका/अपील दायर करने में हुए इतने अत्यधिक विलंब के लिए पर्याप्त कारण नहीं दर्शाया है।

5. हमने विलंब क्षमा के आवेदन पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री गौतम भादुड़ी; उत्तरवादी क्रमांक 1 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेंद्र सिंह; और राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 2 के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री जुगल किशोर गिल्डा को सुना है। हमने विलंब क्षमा के आवेदन और संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन किया है। समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों और विलंब क्षमा के आवेदन पर दिए गए जवाब का हमने अवलोकन किया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6.याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री गौतम भादुड़ी ने पुरजोर तर्क दिया कि प्रारंभ में, सीबीआई ने अपील दायर करने का अपना प्रस्ताव दिनांक 7-8-2007 के पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) को भेजा था। भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने भी यह राय दी थी कि यह अपील दायर करने के लिए उपयुक्त मामला है, किंतु विधिक विधायी कार्य विभाग की सलाह पर समय सीमा के भीतर अपील दायर नहीं की गई। **लालू प्रसाद** (उपरोक्त) के मामले में निर्णय के बाद, पुनः राय मांगी गई और दिनांक 21-12-2010 को सहमति प्राप्त करने के बाद, सीबीआई ने दिनांक 3-5-2011 को यह वर्तमान याचिका प्रस्तुत की है। श्री गौतम भादुड़ी ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता और केंद्र सरकार का संचालन उन अधिकारियों द्वारा किया जाता है जिन्हें प्रक्रियात्मक विधि का पालन करना होता है और सरकारी तंत्र के कामकाज के कारण निर्णय लेने में हुई देरी सद्भावी है। केंद्र सरकार और सीबीआई को फाइल को संसाधित करना आवश्यक होता है और अंतिम निर्णय लेने के लिए फाइल विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से गुजरती है जिसमें कुछ समय लगा। हालांकि, सरकारी तंत्र द्वारा प्रक्रिया का पालन करना दुर्भावनापूर्ण नहीं है और प्रक्रिया के पालन में हुई देरी एक पर्याप्त कारण है। श्री गौतम भादुड़ी ने यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने निजी पक्षकार द्वारा दायर दाण्डिक पुनरीक्षण में जवाब दाखिल किया है जिसमें उसने याचिकाकर्ता/पुनरीक्षणकर्ता के मामले का समर्थन किया है, जो यहाँ वर्तमान याचिकाकर्ता की सद्भावना को दर्शाता है। श्री गौतम भादुड़ी का तर्क था कि "पर्याप्त कारण" की पर्याप्तता पर विचार करते समय न्यायालयों को उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और न्यायालय को सरकार के पहियों की धीमी गति के प्रति अत्यधिक उदार हुए बिना उसके कामकाज का व्यावहारिक दृष्टिकोण

अपनाना भी आवश्यक है। प्रमाण के कड़े मानक अपनाने से कभी-कभी सार्वजनिक न्याय को सुरक्षित करने में विफलता मिल सकती है। याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 1 को हत्या जैसे गंभीर आरोप से दोषमुक्त किए जाने के विरुद्ध यह वर्तमान याचिका/अपील दायर की है, अन्यथा भी, सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए, दोनों पक्षों को मामले के गुण-दोष के आधार पर सुनवाई का अवसर देना उचित और उपयुक्त होगा; और विलम्ब को क्षमा करने से उत्तरवादी क्रमांक 1 या किसी भी पक्ष के प्रति कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

7.याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री गौतम भादुड़ी ने **राज्य (एनसीटी दिल्ली) बनाम अहमद जान** [2] के मामले का अवलंब लिया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि विलंब क्षमा के आवेदन पर विचार करते समय पर्याप्त कारण एक अनिवार्य शर्त है, लेकिन न्यायालयों को पर्याप्त कारण पर विचार करना चाहिए न कि विलंब की अवधि पर। सरकारी तंत्र की ओर से दायर याचिका के मामले में, न्यायालय को सरकार के कामकाज का व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और उसके पहियों की धीमी गति के प्रति अनावश्यक रूप से उदार नहीं होना चाहिए। प्रमाण के कड़े मानक अपनाने से कभी-कभी सार्वजनिक न्याय की रक्षा करने में विफलता मिलती है, और अपील दायर करने की प्रक्रिया में देरी के चतुर प्रबंधन के कारण सार्वजनिक क्षति हो सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8.याचिका का समर्थन करते हुए, राज्य/ उत्तरवादी क्रमांक 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री जुगल किशोर गिल्डा ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिका/अपील दायर करने में हुई देरी सद्भावी है और सरकार में प्रचलित प्रक्रिया के कारण, सीबीआई इस सद्भावी विश्वास में थी कि केवल राज्य सरकार द्वारा दायर अपील ही सक्षम है और केंद्र सरकार के पास अपील दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। विभिन्न अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से दायर अपीलें और निजी पक्षकार द्वारा दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध दायर पुनरीक्षण इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं। इसलिए, विलंब क्षमा के आवेदन को स्वीकार करना उचित और पर्याप्त होगा, जिससे हत्या के गंभीर मामले में सार्वजनिक न्याय की रक्षा हो सकेगी।

[2] (2008)14 एस.सी.सी 582

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. इसके विपरीत, उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेंद्र सिंह ने याचिका का पुरजोर विरोध किया और तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा की गई कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण कृत्य को दर्शाती है। सीबीआई ने दिनांक 7-8-2007 के अपने पत्र के माध्यम से अपील दायर करने का प्रस्ताव दिया था और इसे दो महीने के भीतर अंतिम रूप दे दिया गया था। भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने सलाह दी थी कि यह जल्द से जल्द अपील दायर करने के लिए उपयुक्त मामला है, लेकिन सरकारी तंत्र ने अपील दायर न करने का निर्णय लिया। सीबीआई ने **लालू प्रसाद** के मामले (उपरोक्त) में निर्णय के बाद अपना रुख या विचार नहीं बदला है, बल्कि उक्त निर्णय से बहुत पहले, 2007 से पहले ही, सीबीआई ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष शासकीय अपील संख्या 1/2007 (एसजे) (**बिहार राज्य बनाम लालू प्रसाद और अन्य**) में राज्य सरकार द्वारा दायर अपील की पोषणीयता पर यह कहते हुए आपत्ति जताई थी कि सीबीआई द्वारा जांच किए गए आरोपों के आधार पर दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर करने के लिए राज्य सरकार सक्षम नहीं है। पटना उच्च न्यायालय ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया और दिनांक 20-9-2007 के अपने आदेश के माध्यम से इसे खारिज कर दिया, जिसे लालू प्रसाद यादव और स्वयं सीबीआई ने दांडिक अपील क्रमांक 670/2010 में विशेष अनुमति याचिका दायर कर चुनौती दी थी। दिनांक 20-9-2007 के आदेश के विरुद्ध ऐसी विशेष अनुमति याचिका दायर करते समय और ऐसी अपील दायर करने से पहले, सीबीआई ने यह विशिष्ट रुख अपनाया था कि राज्य सरकार की ओर से दायर अपील सक्षम नहीं है, और दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध केवल केंद्र सरकार ही अपील दायर करने के लिए सक्षम है। इसलिए, सीबीआई अब यह विरोधाभासी रुख अपनाने से वंचित है कि उनके विचार में, राज्य सरकार द्वारा दायर अपील से सीबीआई द्वारा अपील दायर करने का उद्देश्य पूरा हो जाता। श्री सुरेंद्र सिंह ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि अन्यथा भी, सर्वोच्च न्यायालय ने लालू प्रसाद के मामले (उपरोक्त) का निराकरण दिनांक 1-4-2010 को कर दिया था, लेकिन उक्त निर्णय के आठ महीने से अधिक समय बाद, सीबीआई ने दिनांक 21-12-2010 को पुनः सहमति प्राप्त की और सहमति मिलने के भी पांच महीने से

अधिक समय बाद, सीबीआई ने यह याचिका दायर की है जो परिसीमा द्वारा पूरी तरह से वर्जित है। श्री सुरेंद्र सिंह ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार की ओर से दायर अपील को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18-8-2011 के आदेश के माध्यम से पहले ही पोषणीय नहीं मानकर खारिज किया जा चुका है। जैसा कि सीबीआई के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सीबीआई ने निजी पक्षकार द्वारा दायर दांडिक पुनरीक्षण में जवाब दाखिल किया है और वहां याचिकाकर्ता के मामले का समर्थन किया है, लेकिन उक्त दांडिक पुनरीक्षण में नोटिस मिलने के बाद भी, केवल सीबीआई ही जाने किन कारणों से, दिनांक 7-1-2010 को ग्राह्यता पर सुनवाई के समय उपस्थित नहीं हुई। इसके पश्चात, सितंबर 2010 के महीने में सीबीआई ने जवाब दाखिल किया, जो सीबीआई की दुर्भावना को दर्शाता है। श्री सुरेंद्र सिंह ने तर्क दिया कि अपील दायर करने में विलंब के क्षमा के मामले में, पक्षकारों को "पर्याप्त कारण" दिखाना आवश्यक है और न्यायालय को उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, लेकिन उदार दृष्टिकोण का अर्थ विपक्षी पक्ष के साथ अन्याय करना नहीं है, और पर्याप्त कारण का अर्थ विधिक और पर्याप्त कारणों की उपस्थिति है। श्री सुरेंद्र सिंह ने आगे तर्क दिया कि अपनी सुविधानुसार निर्णय लेना पर्याप्त कारण नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. श्री सुरेंद्र सिंह ने **बलवंत सिंह (मृतक) बनाम जगदीश सिंह और अन्य**[3] के मामले का अवलंब लिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि याचिका/अपील दायर करने में विलंब के क्षमा के मामले में पक्षकारों को पर्याप्त कारण दिखाना आवश्यक है; उदार दृष्टिकोण का अर्थ विपक्षी पक्ष के साथ अन्याय करना नहीं है और पर्याप्त कारण का अर्थ विधिक और पर्याप्त कारणों की उपस्थिति है। श्री सुरेंद्र सिंह ने **यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम नृपेन सरमा**[4] के मामले का अवलंब लिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है की यदि देरी इसलिए हुई क्योंकि उत्तरवादियों ने यह निष्कर्ष निकालने में अपनी सुविधानुसार अत्यधिक समय लिया कि निर्णय के विरुद्ध अपील की जानी चाहिए या नहीं, यह पर्याप्त कारण नहीं है।

---

[3] **ए.आई.आर 2010 एस.सी 3043**

[4] **ए.आई.आर 2011 एस.सी 1237**

11. वर्तमान मामले में, निर्विवाद तथ्यों और तर्कों के अनुसार, याचिकाकर्ता ने दिनांक 31-5-2007 के निर्णय के विरुद्ध, निर्णय के साठ दिनों के बाद 7-8-2007 के अपने पत्र के माध्यम से अपील दायर करने का प्रस्ताव भेजा था। अंततः अक्टूबर 2007 के महीने में, केंद्र सरकार ने यह सोच कर कि राज्य सरकार द्वारा दायर अपील से उद्देश्य पूरा हो जाएगा और इसलिए, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा अपील दायर करने की सलाह दिए जाने के बावजूद सीबीआई ने अपील दायर नहीं की। **लालू प्रसाद** के मामले (उपरोक्त) में दिनांक 1-4-2010 को पारित निर्णय के बाद, सीबीआई ने दिनांक 21-12-2010 को विभाग की सहमति पुनः प्राप्त की और दिनांक 3-5-2011 को वर्तमान याचिका/अपील दायर की। ये तारीखें स्पष्ट रूप से प्रकट करती हैं कि सीबीआई के प्रारंभिक प्रस्ताव के समय ही साठ दिनों की परिसीमा अवधि समाप्त हो चुकी थी। सीबीआई द्वारा दूसरी सहमति दिनांक 21-12-2010 को प्राप्त की गई, जो लालू प्रसाद के मामले (उपरोक्त) के निर्णय के आठ महीने से अधिक समय बाद थी, और दिनांक 21-12-2010 के बाद सीबीआई ने दिनांक 3-5-2011 को वर्तमान अपील/याचिका प्रस्तुत की, जो उसके लगभग पांच महीने से अधिक समय बाद की है। याचिकाकर्ता ने उन संबंधित व्यक्तियों का शपथ पत्र दाखिल नहीं किया है जो अपील दायर करने का निर्णय न लेने और इस तरह के विलंब के लिए जिम्मेदार थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12.स्वीकार्य रूप से, सीबीआई ने **बिहार राज्य बनाम लालू प्रसाद और अन्य** के मामले में पटना उच्च न्यायालय द्वारा शासकीय अपील संख्या 1/2007 (एस.जे) में पारित दिनांक 20-9-2007 के आदेश के विरुद्ध दाण्डिक अपील संख्या 670/2010 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की थी। सीबीआई ने पटना उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, 2007 से बहुत पहले ही यह आधार लिया था कि सीबीआई द्वारा अन्वेषण और अभियोजन किए गए विचारण के मामले में राज्य सरकार द्वारा दायर अपील सक्षम नहीं है। वर्तमान मामला राज्य का विषय था और छत्तीसगढ़ राज्य ने अपनी अन्वेषण एजेंसी से मामला वापस लेकर इसका अन्वेषण और अभियोजन सीबीआई को सौंप दिया था।

13. **लालू प्रसाद** का मामला (उपरोक्त) स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि सीबीआई ने राज्य सरकार के अधिकार और दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील की पोषणीयता के संबंध में विशिष्ट आधार लिया था। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपनी आपराधिक अपील और लालू प्रसाद की अपील लंबित रहने के दौरान भी, सीबीआई को परिसीमा की अवधि के भीतर दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर करने से रोका या वर्जित नहीं किया गया था।

14. पर्याप्त कारण के प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **अहमद जान** के मामले (उपरोक्त) में अपने निर्णय के पैरा 11 में इस प्रकार अवधारित किया है,

> "8. पर्याप्त कारण का प्रमाण न्यायालय में निहित असाधारण विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है। जो मायने रखता है वह विलंब की अवधि नहीं है, बल्कि कारण की पर्याप्तता है; और विलंब की अल्पता उन परिस्थितियों में से एक है जिसे विवेकाधिकार का उपयोग करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। **एन. बालकृष्णन बनाम एम. कृष्णमूर्ति** [5] में इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 5 की व्याख्या उदारतापूर्वक की जानी चाहिए ताकि पक्षकारों के साथ वास्तविक न्याय हो सके। यह प्रावधान परिकल्पना करता है कि न्यायालय को संबंधित व्यक्ति की स्थिति में जाकर यह देखना होगा कि क्या देरी उस कारण से हुई है जो उसने प्रस्तुत किया है, और क्या उस कारण को मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में पर्याप्त माना जा सकता है। यद्यपि सरकार को कोई विशेष रियायत नहीं दी जा सकती है जो वैसी ही परिस्थितियों में किसी व्यक्तिगत वादी को नहीं दी जाती, फिर भी सरकार के कामकाज का व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना ही होगा सरकार के पहियों की धीमी गति के प्रति अनावश्यक रूप से उदार हुए बिना।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---

[5] (1998) 7 एस.सी.सी 123:ए.आई.आर 1998 SC 3222

सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि "पर्याप्त कारण" क्या है, इसे किसी बँधे-बँधाए नियमों द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 द्वारा दिए गए विवेकाधिकार को इस तरह परिभाषित या स्पष्ट नहीं किया जाना चाहिए कि एक विवेकाधीन मामले को विधि के एक कठोर नियम में बदल दिया जाए। पर्याप्त कारण की व्याख्या उदारतापूर्वक की जानी चाहिए और न्यायालय को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या अपीलकर्ता ने अपील चलाने में उचित तत्परता के साथ कार्य किया है।

15. पर्याप्त कारण और उदार दृष्टिकोण के प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **बलवंत सिंह** के मामले (उपरोक्त) के पैरा 13 और 14 में इस प्रकार अवलोकन किया है: -

> "13......... हम यह कह सकते हैं कि भले ही 'पर्याप्त कारण' शब्द की व्याख्या उदारतापूर्वक की जानी चाहिए, लेकिन इसे उचित समय और संबंधित पक्ष के उचित आचरण की अवधारणा के भीतर ही आना चाहिए। उदार व्याख्या को शामिल करने का उद्देश्य सामान्यतः 'तार्किकता' की अवधारणा को पेश करना है जैसा कि इसे इसके सामान्य अर्थों में समझा जाता है। परिसीमा विधि एक सारभूत विधि है और इसका किसी पक्ष के अधिकार और दायित्व पर निश्चित परिणाम होता है। इन सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए और किसी दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर इन्हें उचित रूप से लागू किया जाना चाहिए। एक बार जब दूसरे पक्ष द्वारा पर्याप्त कारण और अपने स्वयं के आचरण को स्पष्ट करने में विफलता के परिणामस्वरूप एक पक्षकार के पक्ष में एक मूल्यवान अधिकार उत्पन्न हो जाता है, तो आवेदक के केवल कहने मात्र से उस अधिकार को छीन लेना अनुचित होगा, विशेष रूप से तब जब देरी सीधे तौर पर उस पक्षकार की लापरवाही, चूक या निष्क्रियता का परिणाम हो। न्याय दोनों पक्षकारों के साथ समान रूप से किया जाना चाहिए। तभी न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यदि कोई पक्ष अपने अधिकारों और उपचारों को लागू करने में पूरी तरह से लापरवाह रहा है, तो यह समान रूप से दूसरे पक्ष को उस

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मूल्यवान अधिकार से वंचित करना अनुचित होगा जो विधि द्वारा उसकी सतर्कता के परिणामस्वरूप उसे प्राप्त हुआ है.........

14.............. 'पर्याप्त कारण' अभिव्यक्ति का अर्थ विधिक और पर्याप्त कारणों की उपस्थिति है। 'पर्याप्त' शब्द का अर्थ है पर्याप्त रूप से उतना, जितना इच्छित उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक हो। इसमें उससे अधिक कुछ भी शामिल नहीं है जो ऐसी प्रचुरता प्रदान करता है, जिसे किए जाने पर मौजूदा परिस्थितियों के आलोक में और व्यावहारिक तथा सतर्क व्यक्तियों के उचित मानक से देखे जाने पर उद्देश्य पूरा हो जाता है। पर्याप्त कारण ऐसा होना चाहिए जो न्यायालय को अपने न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए, देरी को क्षम्य मानने के लिए प्रेरित करे। ये प्रावधान न्यायालयों को सार्थक तरीके से विधि लागू करने के लिए पर्याप्त शक्ति और विवेकाधिकार देते हैं, साथ ही यह सुनिश्चित करते हैं कि ऐसे विधि को बनाने का उद्देश्य विफल न हो। हमें उन उदाहरणों पर चर्चा करना अनावश्यक लगता है जो इनमें से किसी भी श्रेणी के मामलों में आएंगे। पक्षकार को यह दिखाना चाहिए कि सद्भावी कार्य करने के अलावा, उसने अपनी शक्ति और नियंत्रण के भीतर सभी संभव कदम उठाए थे और बिना किसी अनावश्यक देरी के न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। जांच यह करना है कि कोई कारण पर्याप्त है या नहीं, यह देखने के लिए कि क्या संबंधित पक्षकार द्वारा उचित देखभाल और तत्परता के माध्यम से इससे बचा जा सकता था। [एडवांस्ड लॉ लेक्सिकॉन, पी. रामनाथ अय्यर, तीसरा संस्करण, 2005]"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. इसी प्रश्न पर **नृपेन सरमा** के मामले (उपरोक्त) में विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए निम्नलिखित दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की है: -

> "हमने याचिका की विषय-वस्तु का अवलोकन किया है।विलंब इसलिए हुआ क्योंकि उत्तरवादियों ने यह निष्कर्ष निकालने में अपनी सुविधानुसार अत्यधिक समय लिया कि निर्णय के विरुद्ध अपील की जानी चाहिए या नहीं। ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी ऐसे कारण से रोका गया था जो उनके नियंत्रण से बाहर था, उचित समय पर ऐसा निर्णय लेने के लिए। अन्यथा भी, मामले के

> गुण-दोष के आधार पर भी, अपील का कोई तर्कसंगत आधार प्रतीत नहीं होता है। इन परिस्थितियों में, हमें इस याचिका में कोई सार नजर नहीं आता।"

17. पर्याप्त कारण पर विचार करते समय न्यायालय के लिए सरकारी तंत्र के कामकाज पर विचार करना और उदार दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, लेकिन यह विपक्षी पक्ष के साथ अन्याय करने के लिए नहीं होना चाहिए और उदार दृष्टिकोण विधि एवं पर्याप्त कारणों पर आधारित होना चाहिए। पक्षकारों को वह कारण बताना आवश्यक है, जिसने उन्हें परिसीमा की अवधि के भीतर अपील दायर करने से रोका था। किसी भी मामले में, विलंब कितना भी लंबा क्यों न हो, उसे क्षमा किया जा सकता है यदि पर्याप्त कारण दिखाया जाए, लेकिन जानबूझकर की गई देरी या सुस्ती क्षम्य नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. हालाँकि, वर्तमान मामले में, सीबीआई के पहले प्रस्ताव से पता चलता है कि सीबीआई ने परिसीमा की अवधि समाप्त होने के बाद प्रस्ताव दिया था और अक्टूबर 2007 में भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा सलाह दिए जाने के बाद भी, केंद्र सरकार/सीबीआई ने अपील दायर नहीं की थी, विशेष रूप से तब जब सीबीआई ने पटना उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह विशिष्ट उपचार लिया था कि राज्य सरकार अपील दायर करने के लिए सक्षम नहीं है और केवल सीबीआई/केंद्र सरकार ही अपील दायर करने के लिए सक्षम है। लालू प्रसाद के मामले (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 1-4-2010 के निर्णय के बाद भी, केंद्र सरकार/सीबीआई ने तत्काल कदम नहीं उठाए, आठ महीने से अधिक का समय बीत जाने के बाद दिनांक 21-12-2010 को सहमति दी गई और ऐसी सहमति प्राप्त करने के बाद, सीबीआई ने सहमति के पांच महीने से अधिक समय बाद वर्तमान याचिका/अपील दायर की है। यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार और सीबीआई के पास याचिका/अपील दायर करने या फाइलों को संसाधित करने में देरी करने का कोई (पर्याप्त) कारण नहीं था और इसे सद्भावी कृत्य नहीं माना जा सकता है। विलंब क्षमा के आवेदन पर पक्षकारों की मनमर्जी या सनक के आधार पर विचार नहीं किया जा सकता या उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, पक्षकारों को पर्याप्त कारण दिखाना चाहिए विधिक और पर्याप्त कारणों पर आधारित। सीबीआई विलंब के लिए कोई भी

कारण, पर्याप्त कारण तो दूर की बात है, दर्शाने में पूरी तरह विफल रही है। न केवल इसे दायर करने में देरी हुई है, बल्कि इसमें अत्यधिक सुस्ती भी है, जिसे माफ नहीं किया जा सकता।

19. उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेंद्र शर्मा ने इस आधार पर इस मामले की सुनवाई से हटने के लिए आवेदन (आई.ए.क्र. 2) दायर किया है कि इस पीठ के सदस्यों में से एक (टी.पी. शर्मा, न्यायमूर्ति) तब प्रधान सचिव (विधि) थे जब छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील दायर की गई थी। यह आवेदन न तो उत्तरवादी क्रमांक 1 के किसी शपथ पत्र द्वारा समर्थित है और न ही किसी दस्तावेज़ द्वारा, और न ही ऐसा प्रतीत होता है कि श्री शैलेंद्र शर्मा ने उत्तरवादी क्रमांक 1 के वकालतनामा द्वारा उन्हें प्रदत्त अधिकार की सीमाओं के भीतर कार्य किया है। आवेदन में उल्लेखित तथ्य इस प्रकार निराधार हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. सुनवाई से हटने का वर्तमान आवेदन, दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में नोटिस के जवाब में विलंब क्षमा के आवेदन पर सुनवाई के लिए दायर किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि इसी आक्षेपित निर्णय से उत्पन्न अन्य मामलों को त्वरित निराकरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अंतिम सुनवाई के लिए नियत किया गया है, और हम में से एक (टी.पी. शर्मा, न्यायमूर्ति) द्वारा मामले की सुनवाई पर आपत्ति न तो यहाँ उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा कभी उठाई गई, यहाँ तक कि अपनी दोषमुक्ति के विरुद्ध पुनरीक्षण में भी नहीं जिसमें उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई है, और न ही उन अन्य व्यक्तियों द्वारा उठाई गई जिन्होंने उसी निर्णय के माध्यम से अपनी दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील दायर की है जिससे उत्तरवादी क्रमांक 1 को दोषमुक्त किया गया था। यह उल्लेख करना सुसंगत है कि 2008 से हम में से एक (टी.पी. शर्मा, न्यायमूर्ति) उन युगलपीठो के सदस्य रहे हैं जो अट्ठाईस अन्य अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दायर अपीलों की सुनवाई कर रही हैं, जिन्होंने उसी निर्णय के माध्यम से अपनी दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील दायर की है जिससे यहाँ उत्तरवादी क्रमांक 1 को दोषमुक्त किया गया था।

21. यह एक तथ्य है कि इस पीठ के सदस्यों में से एक (टी.पी. शर्मा, न्यायमूर्ति) तब प्रधान सचिव (विधि) थे, जब छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील की प्रक्रिया पूरी की गई और उसे दायर किया गया था। हमें यह स्पष्ट करने और घोषित करने में कोई संकोच नहीं है कि हममें से किसी ने भी किसी भी पक्षकार के विरुद्ध मामले का पहले से कोई निर्णय नहीं किया है, और न ही हममें से कोई इस मामले में किसी भी कोण से पक्षपाती है।

22. सुनवाई से हटने के प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **आर.के. आनंद बनाम रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय** [6] के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के एक अंश को स्वीकृति के साथ उद्धृत किया, और यह व्यक्त किया कि यह सटीक रूप से सारांशित करता है कि न्यायालय की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए जब सुनवाई से हटने का अनुरोध न्यायालय को डराने, या किसी 'असुविधाजनक' न्यायाधीश से बचने, या मुद्दों को भ्रमित करने, या कार्यवाही में बाधा डालने और देरी करने, या किसी अन्य तरीके से न्याय के मार्ग को विफल करने या बाधित करने के आशय से किया गया हो। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा 158 में उद्धृत अंश इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "सुनवाई से हटने का मार्ग अक्सर एक सुविधाजनक और सरल विकल्प होता है। यह विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि किसी न्यायाधीश का किसी विशेष मामले को करने में कोई निहित स्वार्थ नहीं होता है। हालांकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 219 के तहत ली गई पद की शपथ न्यायाधीश को संविधान और विधियों को बनाए रखते हुए, बिना किसी डर या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के, अपने ज्ञान और निर्णय के अनुसार पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ पद के कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देती है। ऐसे मामले में, जहाँ फोरम हंटिंग (अपनी पसंद की अदालत चुनना)/पीठ की प्राथमिकता या न्यायालय पर धौंस जमाने की दृष्टि से पक्षपात के निराधार और प्रेरित आरोप लगाए

---

[6] 2009 ए.आई.आर एस.सी.डब्ल्यू 6876

जाते हैं, तो ऐसे दबाव के आगे झुकना पद की शपथ को पूरा न करने के समान होगा।"दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मामले में, सुनवाई से हटने का आवेदन तब दायर किया गया था जब उसमें अपीलकर्ता को न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया गया था।

23. इस प्रकार की स्थिति में विधि का आदेश यह है कि या तो न्यायाधीश स्वयं को मामले से अलग कर ले या पक्षकारों के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट कर दे। उपरोक्त परिस्थितियों और विधि के सिद्धांत को देखते हुए, सुनवाई से हटने के आवेदन का कोई ठोस आधार नहीं है, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि हमने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि न तो हममें से किसी के द्वारा मामले का पहले से कोई निर्णय किया गया है और न ही हम पक्षपाती है।

24. पूर्वगामी कारणों से, विलंब क्षमा का आवेदन (आई.ए.क्र.1) खारिज किए जाने योग्य है और इसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से कथित तौर पर दायर सुनवाई से हटने का आवेदन (आई.ए.क्र.2) भी खारिज किए जाने योग्य है और इसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

25. परिणामस्वरूप, यह विविध दाण्डिक याचिका खारिज की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षर./-	हस्ताक्षर./-
टी.पी. शर्मा	**आर.एन. चंद्राकर**
न्यायाधीश	न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By **ADV.VARSHA THACKER.**